बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-133/2023-4631/ डॉ० चांदनी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति नाथनगर, भागलपुर द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया में उनके पदस्थापन की अवधि (दिनांक-15.07.2020 से 15.02.2022) के दौरान श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, सेवानिवृत लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया (सेवानिवृत्ति तिथि- 30.11.2019) के बकाया वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2243 दिनांक-11.05.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। डॉ० चॉदनी के पत्रांक-328 दिनांक-22.05.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। डॉ० चॉदनी के विरूद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि लगभग 02 वर्षो के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, डॉ० चांदनी ने सेवानिवृत्त कर्मी के लंबित बकायों और सेवांत लाभों के निराकरण हेतु कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क संतोषजनक नहीं पाया गया। उक्त के दृष्टिगत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० चॉदनी के विरूद्ध चेतावनी के साथ 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ० चांदनी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति नाथनगर, भागलपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14(V) के प्रावधानों के अंतर्गत चेतावनी के साथ 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/8/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-133/2023- 4631 पटना-15 दिनांक :- 17.8.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /पूर्णियॉ/भागलपुर/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, अररिया/भागलपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया/भागलपुर /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं डॉ० चांदनी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।